जीविका
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार

विद्युत भवन - 2, बेली रोड, पटना - 800 021, दूरभाषः +91-612-250 4980, फैक्सः +91-612-250 4960, वेबसाइटः www.brlps.in

पत्रांक: BRLPS/Proj-SJY/1552/19/Vol-III/3022 दिनांक : 12.09.2022

कार्यालय आदेश
सतत् जीविकोपार्जन योजना
<u>मिशन स्वावलंबन – परिसंपत्ति सृजन</u>

राज्य सरकार द्वारा देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री में पारम्परिक रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन परिवार एवं अनुसूचित जाति,जनजाति तथा अन्य समुदाय के लक्षित अत्यंत निर्धन परिवारों की सतत् आजीविका, क्षमता निर्माण एवं वित्तीय सहायता के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण हेतु **"सतत् जीविकोपार्जन योजना"** का क्रियान्वयन जीविका द्वारा किया जा रहा है।

योजना अंतर्गत अब तक लगभग 1.50 लाख परिवारों का चयन किया गया है। इन परिवारों को आर्थिक तथा सामाजिक रूप से सशक्त करने के साथ ही उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जाना है, जिसके लिए कार्यालय आदेश संख्या-BRLPS/Proj-M&E/1551/19/882 दिनांक-13.06.22 के माध्यम से एक विशेष अभियान **" मिशन स्वावलंबन "** की शुरुआत की गयी थी। **मिशन** स्वावलंबन के अंतर्गत किए जा रहे कार्यो को और अधिक गति देने और सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत चयनित परिवारों को प्रोत्साहित करने हेतु कार्यालय आदेश संख्या-BRLPS/Proj-M&E/1551/19/1466 दिनांक-20.07.22 के माध्यम से भी दिशा-निर्देश निर्गत किए गए है।

मिशन स्वावलंबन के सकारात्मक परिणाम निकल कर सामने आए है, लक्षित परिवारों द्वारा सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत निर्धारित क्रमिक वृद्धि नीति के लक्ष्यों को हासिल किया गया। जीविका द्वारा इन परिवारों को अगस्त-सितम्बर 2022 में प्रोत्साहित करने एवं मनोबल बढ़ाने हेतु प्रमाणपत्र देकर सम्मानित भी किया गया है।

मिशन स्वावलंबन अभियान के दौरान शुरू किए गए कार्यों को आगे बढ़ाते हुए सभी 38 जिलों में सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत चयनित परिवारों के लिए **दिनांक-19 सितंबर 2022 से 28 सितंबर 2022 तक विशेष अभियान** के लिए **कार्ययोजना के अनुरूप प्रस्तावित है :**

प्रखंड इकाई द्वारा वैसे ग्राम संगठनों की सूची तैयार की जाएगी जहां योजना अंतर्गत चयनित परिवारों को परिसंपत्ति हस्तांतरण/ विशेष निवेश निधि/ जीविकोपार्जन अंतराल राशि/जीविकोपार्जन निवेश निधि (द्वितीय किस्त) का हस्तांतरण किया जाना है।

प्रखंड परियोजना प्रबन्धक के नेतृत्व में सूचीबद्ध प्रत्येक ग्राम संगठन में चार सदस्यीय टीम का चयन किया जाएगा। चार सदस्यीय टीम में संबन्धित ग्राम संगठन के बुक कीपर या जीविका मित्र तथा ग्राम संगठन के 3 खरीददारी समिति के सदस्य होंगे। इस विशेष अभियान के लिए यदि ग्राम संगठन की जीविका मित्र या बूक कीपर उपलब्ध नहीं है तो संबन्धित ग्राम संगठन में उपलब्ध अनुभवी सीआरपी की सेवा अभियान के दौरान लिया जा सकता है। विशेष अभियान हेतु ग्राम संगठन की 4 सदस्यों की टीम के उन्मुखीकरण का कार्य प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई द्वारा किया जाएगा।

परिसंपत्ति सृजन के दौरान की जाने वाली गतिविधियाँ	समय –सीमा	जिम्मेवारी
जिला नोडल-एस.जे.वाई. तथा जिला इकाई में कार्यरत अन्य एस.जे.वाई. कर्मियों का उन्मुखीकरण	13-09-2022	एस.जे.वाई. राज्य इकाई
प्रखंड इकाई के कर्मियों का उन्मुखीकरण	14-09-2022	जिला नोडल-एस.जे.वाई.
अभियान हेतु ग्राम संगठन वार रोस्टर निर्माण	15-09-2022	प्रखंड परियोजना प्रबन्धक
4 सदस्यों की टीम (बुक कीपर या जीविका मित्र तथा ग्राम संगठन के 3 खरीददारी समिति के सदस्यों को परिसंपत्ति सृजन की प्रक्रियाओं पर पंचायत /संकुल स्तर पर एक दिवसीय उन्मुखीकरण	16-09-2022	प्रखंड इकाई के कर्मी (प्रखंड नोडल-एस.जे.वाई./क्षेत्रीय समन्वयक/सामुदायिक समन्वयक/ बीआरपी)

परिसंपत्ति सृजन अभियान की अवधि (19 सितंबर 2022 से 28 सितंबर 2022) - एक ग्राम संगठन में 5 दिनों का अभियान

प्रथम दिन :

ग्राम संगठनों की विशेष बैठक : एस.जे.वाई. के तहत परिसंपत्ति **सृजन** तथा आजीविका वित्तपोषण पर 4 सदस्यों की टीम द्वारा ग्राम संगठन सदस्यों का उन्मुखीकरण

प्रतिभागी : ग्राम संगठन सदस्य, बुक कीपर, जीविका मित्र, खरीददारी समिति के सदस्य, संबन्धित एस.जे.वाई. परिवार

बैठक की संभावित कार्यवाही : -

1. जीविकोपार्जन अंतराल निधि (LGAF) का स्थानांतरण – सभी योग्य परिवारों को बैठक में ही चेक/ बैंक नेफ्ट / आरटीजीएस के माध्यम से स्थानांतरण । (ग्राम संगठन के खाते में जीविकोपार्जन अंतराल निधि प्राप्त तिथि को ध्यान में रखते हुए ग्राम संगठन द्वारा संबन्धित परिवार को शेष जीविकोपार्जन अंतराल राशि का एकमुश्त हस्तांतरण भी किया जा सकता है)

2. सभी योग्य परिवारों को चेक/बैंक नेफ्ट / आरटीजीएस के माध्यम से एस.आई.एफ. (विशेष निवेश निधि) का हस्तांतरण ।

3. सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत जीविकोपार्जन निवेश निधि (LIF-प्रथम किश्त) से सभी योग्य परिवारों के लिए उत्पादक संपत्ति की खरीद और परिसंपत्ति हस्तांतरण के लिए 4 सदस्यों की टीम द्वारा ग्राम संगठन सदस्यों का उन्मुखीकरण । ग्राम संगठन द्वारा संबन्धित परिवार को परिसंपत्ति हस्तांतरण के लिए आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए खरीददारी समिति के सदस्यों को कार्य सौंपना सुनिश्चित करना ।

4. उद्यम स्थापना के लिए स्थान के चयन को अंतिम रूप देना (संबधित परिवारों के साथ चर्चा के बाद)

5. ग्राम संगठन के पास अगर किसी लक्षित परिवार का जीविकोपार्जन निवेश निधि-प्रथम किश्त की राशि बची है, तो उसका उपयोग करते हुए संबन्धित परिवार के साथ चर्चा के बाद उत्पादक संपत्तियों की खरीद पूरी करना ।

6. ग्राम संगठन की बैठक में चेक/बैंक नेफ्ट / आरटीजीएस के माध्यम से सभी योग्य परिवारों को जीविकोपार्जन निवेश निधि (द्वितीय) किश्त का हस्तांतरण ।

7. चार सदस्यों की टीम LIF/LGAF/SIF व्यय से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार करके संबन्धित जीविका प्रखंड इकाई में जमा करना

दूसरा दिन :

उत्पादक संपत्ति की खरीद और परिसंपत्ति हस्तांतरण के लिए ग्राम संगठन खरीददारी समिति के सदस्यों द्वारा बाजार सर्वेक्षण किया जाएगा । सर्वेक्षण के दौरान बुक कीपर या जीविका मित्र द्वारा खरीददारी समिति के सदस्यों को सहयोग प्रदान किया जाएगा । एस.जे.वाई.-एम.आर.पी. द्वारा संबन्धित परिवार और बाजार सर्वेक्षण करने वाली टीम को समुचित सहायता प्रदान किया जाएगा । खरीददारी समिति आवश्यकतानुसार विभिन्न दुकानों से आवश्यक वस्तुओं की मूल्य सूची/कोटेशन (भुगतान की विधि का उल्लेख के साथ) प्राप्त करेगी । कोटेशन का सुझावात्मक प्रारूप अनुलग्नक-**1** में संलग्न है ।

तीसरा दिन :

ग्राम संगठन की विशेष बैठक : (खरीददारी के लिए कोटेशन और भुगतान मदों को अंतिम रूप देना)

प्रतिभागी : ग्राम संगठन प्रतिनिधि निकाय/कार्यकारिणी समिति सदस्य, बुक कीपर,जीविका मित्र खरीददारी समिति सदस्य, संबन्धित एस.जे.वाई. परिवार

इस विशेष बैठक के दौरान खरीददारी समिति सदस्य, ग्राम संगठन सदस्यों के साथ बाजार सर्वेक्षण के दौरान बाजार से लिए गए कोटेशनों को प्रस्तुत करेंगी और सभी कोटेशन पर तुलनात्मक चर्चा की जाएगी । ग्राम संगठन द्वारा प्रत्येक कोटेशन की तुलना की जाएगी और आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए दुकान /स्थान को चयनित किया जाएगा ।

कोटेशन चयन के बाद ग्राम संगठन द्वारा खरीद प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बैठक के दौरान बुक कीपर और जीविका मित्र द्वारा ग्राम संगठन सदस्यों को समुचित सहयोग प्रदान किया जाएगा। बूक कीपर की अनुपस्थिति में बैठक में किए गए चर्चों तथा निर्णयों को जीविका मित्र द्वारा ग्राम संगठन के मिनट्स पुस्तिका में दर्ज किया जाएगा।

चौथा तथा पाँचवाँ दिन :

परिसंपत्ति हस्तांतरण के लिए उत्पादक संपत्ति की खरीद तथा रोजगार की स्थापना : ग्राम संगठन द्वारा नियमानुसार खरीददारी के मापदंडों का पालन करते हुए संपत्ति की खरीद की जाएगी। संपत्ति की खरीद के बाद सभी बिल/वाउचर और खरीद वस्तुओं की सूची को संबंधित ग्राम संगठन में सुरक्षित रूप से रखा जाएगा। सभी खरीदी गई वस्तुओं के खरीद मूल्य पर चर्चा की जानी चाहिए और बिल की एक प्रति संबंधित एस.जे.वाई. परिवार के साथ साझा किया जायेगा। बुक कीपर द्वारा खरीद वस्तुओं की स्टॉक पुस्तिका में प्रविष्टि की जाएगी। एस.जे.वाई. एम.आर.पी. द्वारा एस.जे.वाई. रजिस्टरों में संपत्ति की प्रविष्टि सुनिश्चित की जाएगी।

जीविकोपार्जन निवेश निधि-प्रथम किश्त/जीविकोपार्जन अंतराल निधि/विशेष निवेश निधि/ जीविकोपार्जन निवेश निधि-द्वितीय किश्त व्यय से संबंधित **उपयोगिता प्रमाण पत्र** 4 सदस्यों की टीम द्वारा तैयार किया जाएगा तथा संबंधित जीविका प्रखंड इकाई में जमा किया जाएगा। उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रारूप के लिए कार्यालय आदेश : BRLPS/Proj–M&E/1551/19/5244 दिनांक- 21.03.2020 का उपयोग किया जाएगा। (अभियान के दौरान कार्य करने वाले ग्राम संगठन के टीम को मानदेय भुगतान के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र एक अनिवार्य ट्रिगर होगा)

- **जिला तथा प्रखंड इकाई की भूमिका**

1) प्रखंड परियोजना प्रबन्धक द्वारा रोजगार स्थापना तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र से संबन्धित रिपोर्ट 30 सितम्बर 2022 तक जिला इकाई से साझा किया जाना।
2) आजीविका वित्तपोषण और उद्यम स्थापना अभियान से संबंधित उचित दस्तावेजों और फाइलिंग को ग्राम संगठन स्तर पर सुनिश्चित किया जाना।
3) प्रखंड इकाई द्वारा अभियान से संबंधित सभी अभिलेखों को नियमित रूप से अद्यतन करना।
4) ग्राम संगठन में सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत किए जा रहे सभी प्रकार के लेन-देन तथा अन्य गतिविधियों का लेखांकन पुस्तिका में लेखांकन सुनिश्चित करवाना।
5) ग्राम संगठन स्तर पर कार्य करने वाले 4 सदस्यीय टीम को मानदेय का भुगतान संबन्धित संकुल संघ द्वारा 05 अक्टूबर 2022 तक कर दिया जाएगा, जिसकी प्रतिपूर्ति भुगतान (Re Imbursement) संबन्धित जीविका जिला इकाई द्वारा 15 अक्टूबर 2022 तक करना संबन्धित जिला परियोजना प्रबन्धक द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
6) जिला नोडल-एस.जे.वाई. तथा प्रखंड इकाई के कर्मियों द्वारा रोजगार स्थापना अभियान के दौरान क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण समय दिया जाएगा तथा ग्राम संगठनों को समुचित सहयोग प्रदान किया जाएगा।
7) जीविका जिला इकाई के वित्त प्रबन्धक द्वारा ग्राम संगठन वार निधि हस्तांतरित सूचि संबन्धित जिला नोडल तथा प्रखंड परियोजना प्रबन्धक को दिनांक 15 सितम्बर 2022 तक उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाएगा।
8) ग्राम संगठनों से प्राप्त मांग तथा विशेष निवेश निधि/जीविकोपार्जन निवेश निधि-प्रथम किश्त/द्वितीय किश्त के दिशा-निर्देश के अनुसार संबंधित ग्राम संगठन के खाते में 19 सितंबर 2022 तक राशि उपलब्ध करायी जानी है। इसे संबन्धित जिले के वित्त प्रबंधक द्वारा सुनिश्चित किया जाना जाएगा।

मिशन स्वावलंबन के दौरान होने वाले व्यय और बजटीय प्रावधान :

क्रम	विवरण	इकाई	अभियुक्ति
1.	ग्राम संगठन स्तर पर चयनित 4 सदस्यों की टीम का एक दिवसीय उन्मुखीकरण	सभी प्रखंडों में	गैर आवासीय प्रशिक्षण एन.आर.एल.एम./ एन.आर.ई.टी.पी. शीर्ष के तहत व्यय एवं बुक किया जाएगा।
2.	ग्राम संगठन में कार्यरत 4 सदस्यों की टीम को मानदेय	प्रत्येक ग्राम संगठन में 4 सदस्यों की टीम	टीम के सदस्यों द्वारा कार्य संपादित किए गए कार्य दिवस के आधार पर (एक ग्राम संगठन में अधिकतम 5 दिन) जीविका आंतरिक सीआरपी पॉलिसी (BRLPS Internal CRP Policy) अनुसार प्रत्येक सदस्य को मानदेय का भुगतान किया जाएगा। इस व्यय को सीआरपी मद में एन.आर.एल.एम./ एन.आर.ई.टी.पी. शीर्ष के तहत व्यय एवं बुक किया जाएगा।
3.	बुक कीपर के लिए संसाधन शुल्क	सभी प्रखंडों में	अभियान के दौरान ग्राम संगठन की बैठक की व्यवस्था और बैठक में लिए गए निर्णय को लेखांकन पुस्तिका में दर्ज करने,बिल /वाउचर इत्यादि के रिकॉर्ड की ग्राम संगठन की पुस्तिका में लेखांकित करने के लिए बुक कीपर को कार्य दिवस के अनुसार जीविका आंतरिक सीआरपी पॉलिसी के अनुसार प्रति दिन का मानदेय दिया जाएगा। इस व्यय को सीआरपी मद में एन.आर.एल.एम./ एन.आर.ई.टी.पी. शीर्ष के तहत व्यय एवं बुक किया जाएगा।

सभी जिला परियोजना प्रबन्धकों /प्रभारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त अभियान में समय-सीमा का पालन करेंगे और सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत चयनित परिवारों के लिए गुणवत्तापूर्ण रोजगार स्थापित करवायेंगे।

प्रतिलिपि- सभी परियोजना कर्मी

(signature) 6.9.21

(राहुल कुमार)
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

Annexure: 1

कोटेशन का प्रारूप

यह विदित प्रपत्र एक से ज्यादा सामग्रियों के लिए एक साथ मूल्यांकन के लिए लागू होगी | अलग-अलग सामग्रियों का अलग-अलग मूल्यांकन के लिए विहित प्रपत्र संशोधित किया जाये |

क्रम संख्या	सामग्रियों का विवरण	मापदंड / विशिष्टियाँ	संख्या	यूनिट	कोटेड दर (दर / यूनिट रुपए में)	कुल रकम	
						अंकों में	शब्दों में
कुल रकम							
बिक्री कर							

कुल रुपए (शब्दों में) :..

तकनीकी मापदंडों के अनुरूप एवं कोटेशन आमंत्रण में वर्णित समय सीमा के अंदर हम / मैं .... रुपए (रु. शब्दों में ....)के कुल मूल्य पर ऊपर अंकित सामग्रियों को आपूर्ति करने पर सहमति देता हूँ |

हम यह भी सुनिश्चित करते है कि आपूर्ति करने वाले सामग्रियों पर .... महीनों की व्यावसायिक वारंटी /गारंटी दी जाएगी |

हम यह भी सत्यापित करते है कि हम या हमलोग के ओर से कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार घुस लेन – देन में सलिप्त होगा तो वांछित कारवाई की जा सकेगी |

आपूर्तिकर्ता का नाम :

आपूर्तिकर्ता का मोबाइल नंबर :

आपूर्तिकर्ता का हस्ताक्षर
(दिनांक सहित)

(Ref: BRLPS Community Procurement manual)

JEEViKA
Rural Development Department, Government of Bihar
Bihar Rural Livelihoods Promotion Society
State Rural Livelihoods Mission, Bihar
Vidyut Bhawan - II, Bailey Road, Patna- 800 021; Ph.:+91-612-250 4980; Fax:+91-612-250 4960, Website:www.brlps.in

पत्रांक : BRLPS/Proj-M&E/1551/19/5244 दिनांक : 21-03-2020

कार्यालय आदेश

सतत् जीविकोपार्जन योजना के अन्तर्गत " जीविकोपार्जन निवेश निधि एवं विशेष निवेश निधि हेतु उपयोगिता प्रमाण पत्र हेतु दिशा-निर्देश

जीविका परियोजना द्वारा समुदाय आधारित संस्थाओं यथा स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठनों, संकुल स्तरीय संघ आदि को विभिन्न मदों में राशि प्रदान की जाती है एवं उनका उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न प्रपत्र में ससमय इन संस्थाओं के द्वारा उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है ।

इसी प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए परियोजना के माध्यम से ग्राम संगठनों को सतत् जीवकोपार्जन योजना के अंतर्गत दी गयी जीविकोपार्जन निवेश निधि, विशेष निवेश निधि एवं जीविकोपार्जन अंतराल राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र ग्राम संगठनों के द्वारा जीविका प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई (BPIU) में संलग्न प्रपत्र में जमा कराया जाएगा जिसके आधार पर जीविका प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई द्वारा सतत् जीवकोपार्जन योजना के अंतर्गत निर्धारित BPIU रजिस्टर को अद्यतन करना अनिवार्य होगा।

तदनुसार निदेशित किया जाता है कि समुदाय आधारित ग्राम संगठनों को सतत् जीवकोपार्जन योजना मद में हस्तांतरित राशि का लेखांकन प्रथमत: अग्रिम शीर्ष के अंतर्गत करना सुनिश्चित किया जाय एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत अनुमोदित राशि का लेखा संधारण सम्बंधित व्यय शीर्ष के अंतर्गत किया जाय।

सभी जिला परियोजना प्रबंधकों को निदेशित किया जाता है कि आदेश का पालन सुनिश्चित किया जाय।

21.3.2020

(ब्रजकिशोर पाठक)
विशेष कार्य पदाधिकारी

अनुलग्नक : उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रारूप

प्रतिलिपि :-

- All DPMs/Incharge/FMs/SJY Nodals/BPMs
- All PCs/SPMs/SFMs/PMs/AFMs
- OSD/Director/CFO/AO/PS/PO
- IT Section & Concerned file

सतत् जीविकोपार्जन योजना – उपयोगिता प्रमाणपत्र

SJY योजना के तहत ग्राम संगठन द्वारा जीविकोपार्जन अंतराल राशि (LGF), जीविकोपार्जन निवेश निधि (LIF) तथा विशेष निवेश निधि (SIF) का उपयोगिता प्रमाण पत्र

ग्राम संगठन का नाम: **पंचायत का नाम:**

प्रखंड इकाई (बी.पी.आई.यू.) का नाम: **जिला का नाम:**

1. सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत कुल प्राप्त राशि (रु० में) LIF & LGAF:
   ....
2. ग्राम संगठन द्वारा राशि (LGF एवं LIF) प्राप्ति की तिथि:
   ....
3. ग्राम संगठन द्वारा LGF एवं LIF के मद में कुल खर्च की गयी राशि (रु० में):
   ....
4. ग्राम संगठन द्वारा प्राप्त विशेष निवेश निधि (SIF) की राशि
   ....
5. ग्राम संगठन द्वारा विशेष निवेश निधि (SIF) प्राप्ति की तिथि:
   ....
6. ग्राम संगठन द्वारा SIF मद में कुल खर्च की गयी राशि (रु० में):
   ....
7. SJY योजना के अंतर्गत प्रदत्त कुल राशियों कि परिवार सहित सूची एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र:-

क्र.सं.	लक्षित परिवार का नाम	जीविकोपार्जन अंतराल राशि (LGF)			जीविकोपार्जन निवेश निधि (LIF)			विशेष निवेश निधि (SIF)	
		प्रारंभिक राशि / कुल प्रदत्त राशि	लक्षित परिवार को दी गई राशि	शेष राशि	प्रारंभिक राशि / कुल प्रदत राशि	ग्रा०स० द्वारा कुल खर्च	शेष राशि	ग्रा. स. के खाते में कुल प्राप्त राशि	लक्षित परिवार को दी गई राशि
	कुल								

ग्राम संगठन द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र ज़मा करने की तिथि: ....

ग्राम संगठन के लेखापाल का हस्ताक्षर **ग्राम संगठन का मोहर एवं हस्ताक्षर:**

कोषाध्यक्ष : **अध्यक्ष:** **सचिव:**

CC / AC का हस्ताक्षर **BPM का हस्ताक्षर एवं मोहर**